।। कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर पूर्व ।।

क्रमांक :–   दिनांक :– 29.03.19

श्रीमान् पुलिस उपायुक्त,
जयपुर (पूर्व)

विषय :– जांच रिपोर्ट न्यूज कटिंग समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका दिनांक 25.01.2019 में प्रकाशित खबर '' लोग बोले पुलिस मौन, पुलिस बोली बजरी रोकना हमारा काम नही '' के सम्बंध में ।

प्रसंग :– राजस्थान सम्पर्क सी.एम हैल्प लाईन पर प्राप्त परिवाद के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रसंगीय पत्र के कम में निवेदन है कि '' न्यूज कटिंग समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका दिनांक 25.01.2019 में प्रकाशित खबर '' लोग बोले पुलिस मौन, पुलिस बोली बजरी रोकना हमारा काम नही '' के सम्बंध में श्रीमान द्वारा रिपोर्ट चाही गई है। उक्त न्यूज कटिंग की फोटो प्रति थानाधिकारी सांगानेर को भेजकर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके मुताबिक दिनांक 20.01.2019 को थाना क्षेत्र में शिकारपुरा रोड सांगानेर में ट्रेक्टर ट्रोली द्वारा दुर्घटना के सम्बंध में परिवादिया श्रीमती रीटा शर्मा पत्नी श्री भारत भूषण उम्र 51 साल जाति ब्राहम्ण निवासी प्लाट न0 69 कल्याण नगर बी शिकारपुरा रोड सांगानेर जयपर ने थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैने मेरी गाडी हुडंई इओन कार नम्बर आर.जे–14 ए.सी 0997 को हास्पिटल जाने के लिए मकान के बाहर खडी की थी उसी समय एक ट्रेक्टर चालक अपने ट्रेक्टर की ट्रोली में मिट्टी भरकर तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ आया और मेरी कार के टक्कर मार कर दी। ट्रेक्टर के मय ट्राली मेरी कार पर पलट जाने से मेरी कार में काफी नुकसान हो गया है, ट्रेक्टर के आगे पीछे नम्बर लिखे हुए नही थे आदि रिपोर्ट पर मुकदमा न0 97/19 धारा 279 आई.पी.सी में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी दुर्घटना जयपुर (पूर्व) द्वारा किया जा रहा है।

न्यूज कटिंग में छपी खबर '' लोग बोले पुलिस मौन, पुलिस बोली बजरी रोकना हमारा काम नही '' घटना में परिवादिया द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली में बजरी भरी होना नही दर्शाया है अगर ट्रेक्टर ट्रोली में बजरी होती तो परिवादिया द्वारा दी गई एफ.आई.आर में ट्रेक्टर ट्रोली में बजरी भरा होना अंकित करवाया जाता। थाना क्षेत्र में बजरी का परिवहन होना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर खनन विभाग जयपुर को सूचना दी जाकर कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(पूनम चन्द विश्नोई)
सहायक पुलिस आयुक्त
सांगानेर जयपुर पूव